संख्या-45/2024/पी-522/38-7-2024-ई-7099(99)/31/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2024**

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रम में मा0 सांसदगण एवं विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर ग्राम्य विकास अनुभाग-4 द्वारा निर्गत पत्र संख्या-एम-124/38-4-03-4/2000-टीसी-4, दिनांक 27.06.2003 द्वारा पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण में शिलान्यास कराये जाने हेतु समारोह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसमें यह उल्लिखित है कि योजनान्तर्गत सड़कों का शिलान्यास मा0 क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में मा0 सांसद से कराया जाय। उक्त निर्गत निर्देश पत्र दिनांक 27.06.2003 में मा0 क्षेत्रीय विधायक के अन्तर्गत मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण यथावश्यक स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17025/24/2015-आरसी, दिनांक 27.07.2016 में पीएमजीएसवाई के कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं:-

(I) कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीएमजीएसवाई के कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में विधिवत् आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(II) पीएमजीएसवाई सड़क का शिलान्यास और उस सड़क का उद्घाटन भी मा0 संसद सदस्य (लोक सभा) से कराया जाना चाहिए और समारोह की अध्यक्षता राज्य के प्रोटोकाल के अनुसार स्थानीय मा0 मंत्री या अन्य किसी गणमान्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।

(III) पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन समारोहों के आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रति परियोजना सीमा रू0 10,000/- निर्धारित की गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पीएमजीएसवाई के कार्यों के शिलान्यास/लोकार्पण कार्यकम में मा0 सांसदगण/मा0 विधायकगण की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(I) कार्यक्रम में जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (मा0 सदस्य सम्बन्धित विधान सभा, मा0 सदस्य विधान परिषद् सहित) को पीएमजीएसवाई के कार्यों के शिलान्यास/लोकार्पण समारोह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में विधिवत आमंत्रित किया जायेगा। कार्यक्रम में ऐसे मा0 सदस्य/मा0 सदस्यगण, विधान परिषद् आमंत्रित किये जायेंगे, जिनका नोडल जनपद कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपद है।

(।।) योजनान्तर्गत सड़क का शिलान्यास/लोकार्पण मा0 संसद सदस्य (लोक सभा) से कराया जायेगा और समारोह की अध्यक्षता राज्य के प्रोटोकाल के अनुसार स्थानीय मा0 मंत्री जी द्वारा की जायेगी। स्थानीय मा0 मंत्री जी के कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने की स्थिति में वरिष्ठतम् मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा अध्यक्षता की जायेगी तथा किसी भी मा0 सदस्य, विधान परिषद् के कार्यकम में प्रतिभाग न करने की स्थिति में वरिष्ठतम् मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।

(।।।) शिलान्यास/लोकार्पण के लिए 2×3 वर्गफुट शिलापट्ट का प्रयोग किया जाएगा जिसमें मा0 सांसद द्वारा सम्बन्धित सड़क के विवरण के अंकन के साथ शिलान्यास/लोकार्पण करने का तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मा0 सदस्य, विधान परिषद्/विधान सभा (यथास्थिति) का उल्लेख किया जाएगा तथा गरिमामयी उपस्थिति के अन्तर्गत कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु सहमति देने वाले मा0 सदस्य, विधान सभा तथा मा0 सदस्य, विधान परिषद् का उल्लेख शिलापट्ट में किया जायेगा। मा0 सदस्य/सदस्यगण विधान सभा का नाम बांयी ओर तथा मा0 विधान परिषद् सदस्य/मा0 सदस्यगण का नाम दांयी ओर उत्कीर्ण किया जायेगा। एक से अधिक मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के होने की स्थिति में उनके कार्यकाल/वरिष्ठता के आधार पर शिलापट्ट पर यथास्थान उनके नाम का अंकन क्रम से किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार समस्त सम्बन्धितों को सूचित करते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-45/2024/पी-522/38-7-2024-ई-7099(99)/31/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समिति (सामान्य) अनुभाग-3, विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।